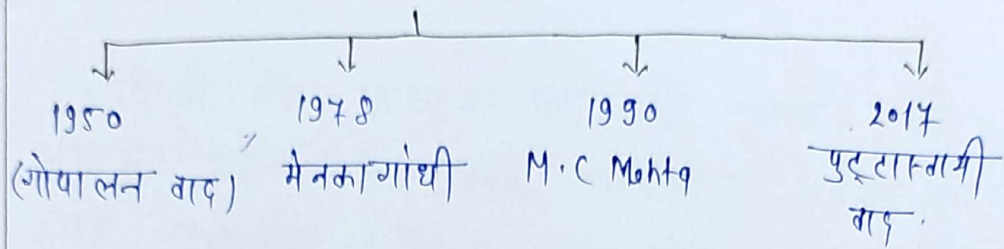


दोहरा जोखिम

- किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार अभिमोचित / दण्डित नहीं किया जाएगा।
- यह अनुदान अमेरिकी विधि से लिया गया है और दोहरा दण्ड न्यायालय का होना चाहिए प्रशासन के द्वारा दिये गए दण्ड को दोहरे दण्ड में शामिल नहीं किया जाता है।
- यदि किसी व्यक्ति के द्वारा एक से ज्यादा अपराध किये गये हों तो उसे एक से ज्यादा बार अभिमोचित और दण्डित किया जाएगा।
- अपने विरुद्ध गवाही न देने की स्वतंत्रता।
- किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध सबूत देना राज्य का दायित्व है क्योंकि व्यक्ति को अपने विरुद्ध सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता लेकिन किसी व्यक्ति के डलस सैंपल, फिंगरप्रिन्ट, CCTV, Photos को व्यक्ति के विरुद्ध सबूत माना जायेगा।

जीवन और वैदिक स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद - 21

जीवन एवं वैदिक स्वतंत्रता



• संविधान लागू होने के बाद न्यायालय के द्वारा जीवन के अधिकार की संकीर्ण व्याख्या की गई जिसके अनुसार शारीरिक अंगों की रक्षा एवं प्रत्यापना से मुक्ति जीवन और वैदिक स्वतंत्रता का भाग है।

• मैनका गांधी वाद (1978) में मूल अधिकारों की व्यापक और उदारवादी व्याख्या की गई जिसके अनुसार शरीर की रक्षा मात्र जीवन का अधिकार नहीं है अपितु जीवन की गरिमा में जीवन का अधिकार शामिल है।

- इस गरिमामय जीवन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएँ भी आवश्यक हैं जो जीवन के अधिकार का भाग हैं।

- उदारीकरण और भ्रमंडलीकरण के दौर में प्रदूषण रहित जीवन को भी जीवन के अधिकार का भाग माना गया है।

M.C. Mehta Case :-

- तकनीकी के प्रधान युग में व्याक्ति के जीवन पर इलेक्ट्रानिक सर्कुलिस बढ़ने लगा और डिजिटल दुनिया में निजता का अधिकार भी जीवन के अधिकार में शामिल कर लिया गया और सहमति के आधार पर समलैंगिक संबंधों को भी मान्यता दे दी गयी।

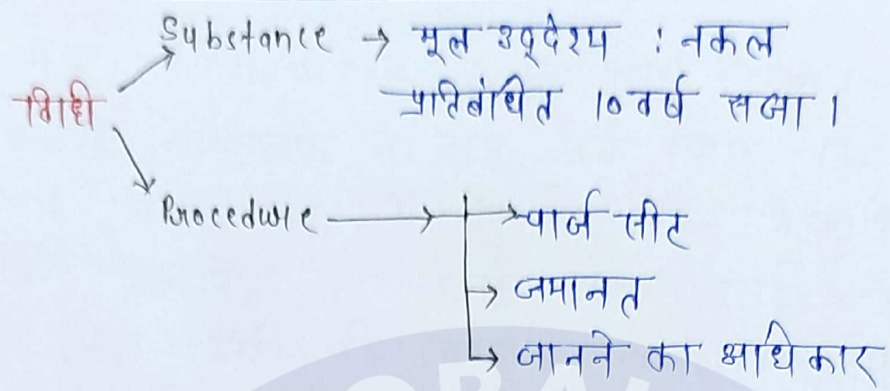
निष्कर्ष :-

भाग-III में उल्लिखित मूल अधिकारों में भी अनेक मूल अधिकार अन्तर्निहित हैं। इनका विस्तार व्यापकता के द्वारा किया गया है जो लोकतंत्र के लिए अत्याधिक सकारात्मक हैं।

विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया :-

- यह शब्द भारत में जापानी संविधान से लिया गया। संसद जब भी विधि का निर्माण करती है तो उस विधि के दो पक्ष होते हैं:

- (i) विधि के मूल प्रावधान (Substance)
- (ii) विधि में निर्धारित प्रक्रिया (Procedure)



→ गोपालराय में न्यायपालिका ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को पूर्णतः स्वीकार कर लिया जिसके अनुसार जीवन का अधिकार कार्यपालिका (पुलिस) के विरुद्ध है।

→ न्यायालय किसी भी व्याक्ति के जीवन के अधिकार का तभी बचा पायेगी जब बिना किसी विधि के उल्लंघन के उसे हिरासत में लिया गया है।

→ न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद-19 की स्वतंत्रता और अनुच्छेद-21 में उल्लेखित जीवन और वैदिक स्वतंत्रता एक दूसरे से पृथक् हैं।

→ आपातकाल के दौरान न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उपयोग करते हुए व्याक्ति के जीवन के अधिकार को बचाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण देने से भी श्कार कर दिया गया था।

(ADM Jabalpur case vs Shivkant Shukla case)
क्योंकि न्यायालय ने यह तर्क दिया कि
यदि आपातकाल के दौरान जीवन के अधिकारों
को निलंबित कर दिया गया, इसकी रक्षा
के लिए कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय
या उच्चतम न्यायालय में प्रवेश नहीं करेगा।

